न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी –श्री हरिताभ कुमार आदित्य (आर.ए.एस)

मु.न. 124/2019
प्रकरण दर्ज –22.10.2019
प्रकरण निस्तारण –26.02.2020

अनुवानी प्रकरण

रामकिशोर पुत्र गंगासहाय गुर्जर निवासी मुरलीपुर तहसील सिकराय दौसा
–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार सिकराय दौसा –प्रतिवादी

दावा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

दिनांक 26.02.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम मुरलीपुर तह. सिकराय के भूमि खसरा 74 रकबा 0.4900हैक्टयेर , जिसमे वादी 1/3 का हिस्से का खातेदार है तथा खेवट खतौनी संख्या नया 73 पुराना 66 जिसकी आराजी खसरा नम्बर 62 रकबा 0.0300 हैक्टयेर मे वादी सहखातेदार है खेवट खतौनी नया 74 पुराना 64 के आराजी खसरा नम्बर 75 रकबा 0.6800 हैक्टयेर आराजी खसरा नम्बर 29 रकबा 1.0000 हैक्टेयर का वादी सहखातेदार है उक्त भूमि ग्राम मुरलीपुर तहसील सिकराय में स्थित है जिसका वादी सहखातेदार है वादी के पिता गंगासहाय की मृत्यु हुई तब वारिस वादी संख्या 1 था जिसके नाम वादी के पिता गंगासहाय के हिस्से का नामान्तरण दर्ज हुआ है नामान्तरण दर्ज होते समय संवहन से वादी का नाम किशोरी पुत्र गंगासहाय दर्ज कर दिया गया जो संवहन से वादी का नाम रामकिशोर है नाम दुरस्ती करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई प्रतिवादी गण की ओर से पैराकार सरकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया । वकील वादी व पैराकार सरकार की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस का मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण दुरस्ती किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम मुरलीपुर तहसील सिकराय के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज विवादित भूमि ख.न. 74 व खसरा नंबर 83, 63, 75 व 229 मे किशोरी पुत्र गंगासहाय के स्थान पर किशोरी उर्फ रामकिशोर पुत्र गंगासहाय दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है तहरीर जारी हो ।निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो।

26/2/2020

(हरिताभ कुमार आदित्य)
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला-दौसा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Date: 2020.03.03 14:31:55 IST
Reason: SelfAttested